

महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ अजय कुमार वर्मा¹

¹असि. प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर

Received: 20 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Oct 2024

Abstract

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की एक भूमंडलीय समस्या है, जो विश्व के सभी देशों में एक चिंतनीय ज्वलंत विषय बन गयी है। आज विश्व का कोई भी समाज दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि उसके यहां महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा नहीं हो रही है। मानव अधिकारों का यह सर्वाधिक व्यापक उल्लंघन है, जिसके द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, समानता, आत्म-उत्कर्ष और बुनियादी आजादी के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विश्वव्यापी विस्तार के सामने संस्कृतियों, वर्गों, शिक्षा, आय, जातीयता और आयु की किसी भी सीमा का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई अंतर है तो वह केवल देशों और क्षेत्रों में विद्यमान हिंसा की प्रवृत्तियों में ही है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के घृणित और जघन्यतम तरीकों के कारण विश्वभर के समाजशास्त्री परिवार, संस्था के उद्देश्यों में आये इस पतन के प्रति बेहद चिंतित हैं। घरेलू हिंसा एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा बन गया है, जिसमें महिलाएं अपनी नागरिक अधिकारों व हक से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनमें बराबरी का दर्जा पहचान, प्रतिष्ठा व क्षमता पर गलत असर पड़ता है। उन्हें मायके व ससुराल कहीं भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, दृश्यगत, यौन शोषण आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा को अंजाम देने वाला घर का कोई रिश्तेदार होता है, चाहे वह पति हो या सास-स्वसुर ननद-देवर या कई अन्य रिश्तेदार। घरेलू हिंसा की शिकार गरीब महिलाएं ही नहीं बल्कि शहरी, शिक्षित व आर्थिक रूप से संपन्न व स्वतंत्र सभी शामिल हैं।

कीवर्ड- वैश्विक परिप्रेक्ष्य, महिलाओं के प्रति हिंसा, ज्वलंत विषय, समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Introduction

पारिवारिक दायरे में किसी पुरुष या पुरुषों के समूह के द्वारा किसी महिला या महिलाओं के समूह के विरुद्ध की गई हिंसा अथवा किसी महिला या महिलाओं के समूह द्वारा किसी पुरुष या पुरुषों के समूह के विरुद्ध की गई हिंसा अथवा किन्हीं पुरुषों और महिलाओं के समूह के द्वारा किसी पुरुष या किसी महिला या उनके किसी समूह के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा घरेलू हिंसा की व्यापक संकल्पना में सम्मिलित है, परंतु भारतीय समाज के पुरुष-प्रधान होने के कारण पारिवारिक घरे में किसी महिला के विरुद्ध होने वाली हिंसा ही संकल्पना के केंद्र में अवस्थित है। यह तथ्य घरेलू हिंसा के संदर्भ में वर्ष 2005 में पारित अधिनियम के शीर्षक से ही स्पष्ट है। इस अधिनियम का शीर्षक है- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005**। इस अधिनियम के अंतर्गत महिला ही “व्यथित व्यक्ति” की परिभाषा में सम्मिलित है (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3(II) : 1-12, दिनांक 17-10-2006)

वास्तव में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विषय पर जो अध्ययन एवं सर्वेक्षण किए जाते हैं उनमें नमूनों एवं तथ्यों के लिए जिन महिलाओं को चुना जाता है, उनमें काफी अंतर होता है। यह अंतर विविधतापूर्ण समाजों, संस्कृतियों और

परंपराओं की पृष्ठभूमि के साथ-साथ आर्थिक स्थितियों और वर्गों में भी कठिनाई पैदा करते हैं। इसी के साथ घरेलू हिंसा किसे कहा जाए - इस बात को लेकर भी कम मतभेद नहीं हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए जारी किया गया 'संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र' जिसे जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 को स्वीकार किया था, उसमें कहा गया है कि लिंग आधारित हिंसा का ऐसा कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन जनित, मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचती है, अथवा पहुंच सकती है। इसमें ऐसे कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से या निजी जीवन में दी गई धमकी, बल प्रयोग या उन्हें अधिकारों से मनमाने ढंग से वंचित कर देना भी सम्मिलित है। 'यूनिसेफ इन्नोसेंट रिसर्च सेंटर, फ्लोरेंस इटली द्वारा 'डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड गर्ल्स' विषय पर प्रकाशित डाइजेस्ट पत्रिका संख्या-6, सन 2018, में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि घरेलू हिंसा में वह हिंसा भी सम्मिलित है, जिसका अपराध जीवन साथी या परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इन्हीं के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया जाता है। घरेलू हिंसा का संबंध उस वास्तविक आचरण की अभिव्यक्ति है, जिसमें पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की व्यक्तिगत क्षति, संपत्ति विनाश या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है (Encyclopaedia of Crime & Justice 1983 :1618)।

अमेरिका में प्रकाशित एस. शेक्टर की पुस्तक 'इण्टर व्युइंग बैटर्ड वूमेन : गाइडलाइंस फॉर द मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर इन डॉमेस्टिक वायलेंस केसेस' के हवाले से न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन के सितंबर 16, 2019 के अंक में स्टेफनी ए. आइसेन टैंट और कुण्डी बैक्राफ्ट लिखती हैं, "घरेलू हिंसा, प्रताड़ना या उत्पीड़न दाम्पत्य संबंधों में पति द्वारा किया गया मानसिक, आर्थिक और बलपूर्वक यौनाचार का ऐसा स्वरूप है, जिसे शारीरिक चोटों या शरीर को क्षति पहुंचाने वाली विश्वसनीय धमकियों द्वारा चिन्हित की जाती हैं। उत्पीड़न उन सोचे समझे नियंत्रणकारी आचरणों और प्रवृत्तियों का जोड़ा है, जिन्हें सांस्कृतिक रूप से समर्थन प्राप्त होता है और जो समबद्धता वाले संबंध स्वरूप को जन्म देते हैं। इस प्रताड़ना का लक्ष्य आमतौर पर महिलाएं और बच्चे होते हैं। विश्व में महिलाओं के साथ लगातार बढ़ती हुई घरेलू हिंसा के विरुद्ध विश्व भर के अनेक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं। "महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं" - यह नारा 1990 के दशक में उठा था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के मानवीय अधिकारों के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडा के मुनासिब तरीकों से रखा जाए। 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में बीजिंग में हुआ सम्मेलन ऐतिहासिक था। संयुक्त राष्ट्र महिला कोष (यूनिफेम) के प्रभारी निदेशक निलिन हैसर ने कहा कि हमें महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को मिटाने का लक्ष्य एक गंभीर भूमंडलीय प्राथमिकता के रूप में पूरा करना चाहिए। वियना विश्व सम्मेलन 1983 में संपन्न हुआ, जिसमें विशेष रूप से महिला अधिकारों के विषय को सम्मिलित किया गया, उसी सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र' भी जारी हुआ, जिसमें दोनों की यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को समाप्त करेंगे। लेकिन तंजानिया के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी. कीमारो ने कहा किसी भी कानून के साथ उसे लागू करने के दीर्घकालीन प्रयास भी होने चाहिए। जो लैंगिक समानता को बढ़ावा दे और महिलाओं के प्रति व्याप्त भेद-भाव संबंधी नकारात्मक विचारों को दूर करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 90 के दशक में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का पूरा जीवन चक्र प्रकाशित किया था, जिसमें जन्म पूर्व हिंसा, शैशव हिंसा, बालिका उत्पीड़न, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में हिंसा, वृद्ध महिलाओं के साथ हिंसा शामिल है। वैश्विक स्तर पर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक लड़कियाँ और

महिलाओं के साथ हो रही हिंसा की इस महामारी की पकड़ में विश्व समुदाय बुरी तरह फंस चुका है (www.wikipedia.honour killing.org Accessed at 16 march/2024)।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संपन्न देशों में सबसे आगे है, किन्तु घरेलू हिंसा के विषय से अमेरिकी समाज मुक्त नहीं है। **अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन** द्वारा 2016 में किए गए अध्ययन में अमेरिका की 92% महिलाओं ने अपनी समस्याओं की वरीयता में घरेलू हिंसा को प्रथम स्थान पर रखा। प्रत्येक तीन में से एक महिला ने पति द्वारा प्रताड़ना को स्वीकार किया। इस सर्वेक्षण का काम **घरेलू हिंसा विरोधी राष्ट्रीय संघ (नेशनल कोआलीशन अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वायलेंस)** ने अपने हाथों में लिया। इस संघ ने घरेलू हिंसा की स्थिति जानने के लिए जो सर्वेक्षण किया, उसका नाम था- **प्रगति और बाधाएं : महिलाओं के लिए नई कार्य सूची**। इस संघ की जन-नीति निर्देशक **जूली फुलचर** के अनुसार, इस सर्वेक्षण को देखकर लगा कि घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। लोग जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक घरेलू हिंसा हो रही है। अमेरिका में घरेलू हिंसा की स्थिति देखकर **घरेलू हिंसा विरोधी राष्ट्रीय संघ** हर वर्ष अक्टूबर महीने को घरेलू हिंसा जागरूकता मास के रूप में मनाता है। एक अन्य अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली महिलाओं की कुल हत्या में एक तिहाई उनके पतियों या जीवनसाथी द्वारा की गई है। समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पति-पत्नी के संबंधों में झगड़े का कारण परिवार में शक्ति का असंतुलित ढांचा होता है, जिसमें किसी एक का शक्ति पर नियंत्रण या अधिकार झगड़े का मुख्य कारण बनता है। (देवसरे, विभा 2009 : 52)।

कनाडा में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा की समझ का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह हिंसा इनके जीवन के हर स्तर को प्रमाणित करती है। महिलाएं तो हिंसा के विविध रूप को भोगती हैं, जिनमें यौन हिंसा भी सम्मिलित है। कनाडा में महिलाओं की जननेद्रियों का खतरा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। वहां अपराध संहिता द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद खतना क्रिया को अंजाम देते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सर्वेक्षण में युवा महिलाओं (18 से 20 वर्ष की आयु) को प्रताड़ित करने की दर इसमें पूर्व के सर्वेक्षण की तुलना में तीन गुना अधिक यानी 27% थी, जबकि साधारण भुक्तभोगी महिलाएं 10% थी। **स्टैटिक्स कनाडा, दि वायलेंस अगेंस्ट वूमेन सर्वे, द डेली नवंबर 18, 2016, पृष्ठ-4** अन्य महिला समूहों की तुलना में किशोरावय की पत्नियों को अपने पद के हाथों मार दिए जाने का खतरा कहीं अधिक पाया गया। **कनेडियन सेंटर फॉर जस्टिस स्टैटिक्स स्पाउसल होमसाइड, जरी स्टेट खंड 4 संख्या 8 मार्च 2014, पृष्ठ-4** सर्वेक्षण की कुल महिलाओं की एक चौथाई संख्या ने अपने वर्तमान या पूर्व पतियों के हाथों हिंसा भोगी हैं। कनाडा की 10 में से 6 महिलाओं ने बताया कि जब अंधेरा हो तो उन्हें टहलने निकालने में चिंता या भय सताता है। **स्टैटिक्स कनाडा, दि वायलेंस अगेंस्ट वूमेन, सर्वे पृष्ठ-8** में इसी प्रकार दस प्रौढ़ महिलाओं में से चार ने बताया कि 16 वर्ष की आयु से लेकर अब तक की अवधि में कम से कम एक बार यौनाचार की भुक्त-भोगी बन चुकी हैं। **कनेडियन सेंटर फॉर जस्टिस स्टैटिक्स, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेसिंग आफ सेक्सुअल एसॉल्ट केसेस स्टैटिक्स, खंड-14, संख्या-7, मार्च 2019, पृष्ठ-1**, इसी तरह काम के स्थान पर चार में से एक महिला का योग शोषण हुआ और उसे प्रताड़ना दी गयी। (जॉनसन, एच. **वर्करिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट पर्सपेक्टिव अन लेबर एंड इनकम स्टैटिक्स कनाडा, विंटर 2014, पृष्ठ 9-12**)। हाल ही में कनाडा की पूर्व ड्यूटी पीएम शीला कॉप्स ने हाल ही में एक अखबार की कलम में लिखकर सनसनीखेज खुलासा किया कि 28 वर्ष की आयु में पहली बार सांसद चुने जाने पर उनकी पार्टी के सांसद ने

ही उनके साथ रेप किया था। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित टूर के दौरान भी उनके साथ रेप किया गया ([www. world organisation, 1997](http://www.worldorganisation,1997) Accessed at : 16 march-2024)।

यूरोप के देश विकसित और आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं। यूरोपियन प्रीवेंटिंग डोमेस्टिक वायलेंस टू वूमेन शीर्षक से 2019 में जारी रिपोर्ट के बाद विद्वान यह मानने के लिए विवश हुए कि समृद्ध देशों और प्रतिष्ठित एवं संपन्न समुदायों में भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या और अधिक गंभीर रूप में है। जहां तक महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या की भयावहता का प्रश्न है उसमें कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर समस्या अत्यंत गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड और ग्रीस (यूनान) में तो घरेलू हिंसा रोकने संबंधी कोई निश्चित कानून ही नहीं है। यूनान में दांपतिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है। जबकि इटली में इसे अपराध माना जाता है, किंतु बहुत ही कम लोगों पर कानून लागू होते हैं। फ्रांस में अवश्य ही बलात्कार कानूनी रूप में अपराध माना जाता है। 1991 से पुर्तगाल में एक कानून है जो महिलाओं को दांपतिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इस कानून को अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण बनाया गया है। इसलिए इसे लागू नहीं किया जाता है। निकारागुआ में जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी एक सर्वेक्षण के अनुसार शारीरिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं में 32% के साथ पतियों ने वहां के दाम्पत्य नियंत्रण के पैमाने के उच्चतम अंकों को पार किया था। जबकि केवल 2% ही ऐसी महिलाएं थी जिनको घरेलू हिंसा की प्रताड़ना नहीं मिली थी (देवसरे विभा 2009 : 48-49)।

अफ्रीका महाद्वीप में घरेलू हिंसा बड़े व्यापक रूप में मौजूद है और यहां यही माना जाता है कि महिलाओं को अनुशासित करने का पुरुषों को पूरा अधिकार है। इसके लिए उन्हें जो उचित हो वह कर सकते हैं। सर्वेक्षणों में कुछ भाग में महिलाओं को प्रताड़ना देने की बात स्वयं महिलाएं उचित ठहराती हैं। दक्षिण अफ्रीका में बलात्कार की घटनाएं विश्व में सबसे अधिक होती हैं। जबरदस्ती और असुरक्षित यौन संबंधों ने महिलाओं को एड्स सहित यौन संक्रमित रोगों से पीड़ित बना दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों के अध्ययन से पता चला कि 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे शोषण के शिकार हुए, उनमें 45% वे थे जिनका यौन शोषण हुआ। युगांडा के एक जिले में स्कूल के लड़कियों में 31% और लड़कों में 15% के साथ स्कूल के शिक्षकों ने ही यौन शोषण किया। अफ्रीका के 28 देश में महिलाओं का खतना करने की परंपरा आज भी जारी है। संयुक्त राज्य स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट में कहा गया कि युगांडा में वर्ष 2001 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के साथ-साथ बलात्कार जैसी हिंसात्मक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। कमिशनर जनरल ऑफ प्रिंसेस के अनुसार युगांडा में सन् 2001 में 38% मामले अपवित्रीकरण (वैधानिक बलात्कार) से संबंधित थे। इसी तरह फेडरेशन ऑफ वूमेन लायर्स कीनिया चैंप्टर की प्रमुख मार्या कूर्मे सन 2011 की रिपोर्ट में लिखती है की कीनिया के मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे सामान्य उदाहरण घरेलू हिंसा है, का परिणाम होती है। मिश्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बहु प्रचलित रूप जननेंद्रियों का खतना कर देना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला कोष, यूनिफेम की रिपोर्ट से नो टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, 2013 दक्षिण एशिया के चार देशों में किए गए सर्वेक्षण में पाकिस्तान की रिपोर्ट यास्मीन जैदी इसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आधारित है। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान भले ही विविध रूपों में हो, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सभी विभिन्नताओं के बावजूद स्थानिक रोग है और पूरे देश में व्याप्त इसे सभी आयु, सड़कों, घरों में, दफ्तरों और बैडरूमों में सभी जगह देख सकते हैं। पाकिस्तान में लिंग आधारित हिंसा को और कई रूपों में देख सकते हैं, जैसे- घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, सम्मान के लिए हत्या, बल प्रयोग

द्वारा वेश्यावृत्ति, सार्वजनिक रूप से अपमान, अनाचार, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न। अन्य देशों की तरह पाकिस्तान में भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बालिका भ्रूणहत्या से शुरू होती है। सर्वेक्षण में 80% महिलाओं ने बताया कि वह अपने जीवन काल में घरेलू हिंसा के किसी न किसी रूप का हिस्सा बनी हैं। पाकिस्तान में एक प्रथा जिसमें औरतों का निकाह 'कुरानेपाक' से कर दिया जाता है, प्रचलित है। कुरान के साथ विवाह हो जाने के बाद औरत किसी और से निकाह नहीं कर सकती है और घर में ही कैद रहती है। इसका प्रभाव प्रायः हिंसा के रूप में प्रतिफलित होता है। सिंध प्रांत में लड़की के जन्म से पहले ही उसका विवाह किसी लड़के से तय कर दिया जाता है। जवान लड़कियों को कर्ज आएगी के बदले में भी दे दिया जाता है (देवसरे, विभा 2009 : 61-63)।

विभिन्न संस्कृतियों भाषाओं और परंपराओं वाले भारत में भी घरेलू हिंसा व्यापक स्तर पर है। भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक काल में महिला पुरुषों की स्थिति में समानता थी, सह-शिक्षा थी। घोषा, अपाला, विशम्भरा, गार्गी व मैत्रेयी जैसी अनेक विदुषी महिलाएं थीं। ईशा के 600 वर्ष पूर्व में 300 वर्ष बाद के उत्तर वैदिक काल में विशेष कर बौद्ध एवं जैन धर्म के पतन के साथ ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी (Rao & Rao, 1985 : 24)। प्राचीन भारतीय गौरव ग्रंथ 'मनुस्मृति' के अंतर्गत एक ओर 'यत् नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत् देवतः' जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं और दूसरी ओर यह घोषित किया गया 'न नारी स्वातंत्र्य महानि' (नारी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है)। बाल्याकाल में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए (मुखर्जी, 2003 : 377)। ईशा की तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह युग सामयिक व धार्मिक संकीर्णता का युग था। मनुस्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्हें वेदों को पढ़ने और यज्ञ करने से रोक दिया गया और लड़की के राजस्वला होने से पूर्व उनके विवाह का विधान किया गया। पति की आज्ञा का पालन करना और उनके पारिवारिक दायित्वों का निभाना ही उनका एकमात्र कार्य रह गया। अब महिलाएं परतंत्र, निस्सहाय एवं निर्बल माने जाने लगी थी। अग्निपुराण लिखता है कि स्त्री हत्या करने वाले को कुत्ते, उल्लू या कौवे की हत्या के बराबर पाप लगता है। 11वीं शताब्दी के बाद दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासकों के समय मध्यकाल में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अबोध कन्याओं का विवाह होने लगा। धर्म के नाम पर महिलाओं का सर्वाधिक शोषण हुआ। उन्हें चेतना शून्य, पुरुष की कृपा पर आश्रित और निर्बल बना दिया गया। सती प्रथा के प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा में विस्तार एवं बहु विवाह की व्यापकता ने उनकी स्थिति को बहुत गिरा दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता पूर्व तक ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने यहां के लोगों को धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। इसी समय विवाह विच्छेद के अधिकार नहीं होने से पति के दुश्चरित क्रूर और अत्याचारी होने पर भी पति के साथ अनुकूल करना होता था। आर्थिक अधिकार नहीं होने से महिलाएं स्वयं वस्तु या संपत्ति के रूप में समझी जाती थी। श्री पाणिकर ने लिखा है, कि हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। पत्नी, पति के परिवार का एक अंग बन गई और विधवाओं को मृत समान मान लिया गया। इस काल में महिलाओं को पुरुष के दया पर निर्भर रहना पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। डॉ एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण तथा जातीय गतिशीलता ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक चेतना एवं स्थिति

में सुधार करने में योगदान तो दिया किंतु घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में कमी नहीं आयी है। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति जघन्य से जघन्य तरीकों से अपराध एवं हिंसा की जाती है, बलात्कार, नंगा करके गांव में घुमाया जाना, उसे डायन समझकर उस पर अत्याचार करना, जबरन उसे मृत पति की चिता के साथ सती होने के लिए मजबूर करना स्त्री का अंग भंग कर देना, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, भारत देश में आम बात है (Singh & others, 2010 : 232-233), [www. domestic violence in India,eu,usa& other countries](http://www.domesticviolenceinindia.eu.usa&othercountries))।

भारत में घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का आकलन 'संयुक्त राष्ट्र महिला कोष यूनीफेम' के लिए अनुराधा राजन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कि पूरे विश्व में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को पुरुष और महिलाओं के संबंध में असमान अधिकार संबंधों के परिणामस्वरूप माना है। दरअसल सांस्कृतिक रूप से कुछ निश्चित लिंग आधारित नियम शक्ति और अधिकार संबंधी क्रमबद्धता को बनाए रखते हैं और वे हमारे सामाजिक ढांचे, जैसे- परिवार, समुदाय और कानून प्रणाली में गहराई से समाये रहते हैं। अनुराधा राजन आगे लिखती है, कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को लिंग आधारित हिंसा के रूप में प्रेरित करता है। भारतीय समाज में महिलाओं को आर्थिक बोझ माना जाता है। यही कारण है कि दहेज जैसी प्रथा को आज भी समाज में महत्व मिला हुआ है, जो उसके प्रति असंतोष और घरेलू हिंसा का कारण बनता है। प्राचीन समय से ही घरों के भीतर घरेलू हिंसा एवं सामान्य व्यवहार के रूप में घटित हो रही है यह स्त्रियों को प्राप्त व्यक्तिक और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है घरेलू हिंसा अधिनियमों में चोट पहुंचाना शारीरिक छत पहुंचना प्रताड़ना अपमानित करना हत्या और लैंगिक दुर्व्यवहार सम्मिलित हैं (Singh at al. 2009 : 152)। घरेलू हिंसा के विषय में अध्ययन करते हुए अनुराधा राजन ने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में तीव्रता हुई है। गैर सरकारी संगठन "इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च आन वूमेन" की संचालनात्मक अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री नंदिता भाटला अपने लेख में लिखती है कि 'महिलाओं की विरुद्ध हिंसा के अखिल भारतीय आंकड़े बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत दे रहे हैं- पिछले वर्षों में न केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है, बल्कि उत्तरोत्तर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वालों में उनके पति और रिश्तेदार शामिल हैं (देवसरे विभा, 2009 : 112-114)।

गैर सरकारी संगठन स्पेशल फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रेन के दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिलाएं बाहरी हस्तक्षेप और सहायता के लिए तब तक आगे नहीं आती, जब तक कि उन पर होने वाली हिंसा एक स्वीकृत सहनशीलता की सीमा नहीं पार कर जाती है। कई बार वे जो सहायता चाहती हैं, उसका कारण घरेलू हिंसा नहीं बताती हैं। न्यायिक दस्तावेजों के अध्ययन से पता चला है कि घरेलू हिंसा के मामलों में जिन लोगों को सजा मिलती है, उनकी संख्या बहुत कम है। लंबी चलने वाली अदालती प्रक्रिया, जांच में अनचाही देर और अविवेकपूर्ण प्रणालियां, जैसे पति द्वारा हिंसा किए जाने के सबूत हिंसा से प्रताड़ित महिला से पेश करने की मांग, वे गंभीर बाधाएं हैं, जो महिलाओं को पुलिस या अदालत तक जाने से रोकती हैं। भारत में महाराष्ट्र के नागपुर में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 13% महिलाओं को, उनके साथ हुई घरेलू हिंसा के कारण अपनी नौकरी खोनी पड़ी। कई महिलाओं को प्रति घटना के बाद 7 दिन की दर से काम पर न जाने से उन्हें अपना काफी वेतन खोना पड़ा। इसी तरह 11% महिलाएं ऐसी भी हैं, जो हिंसा की घटना के बाद कई दिनों तक गए घर-गृहस्थी के काम करने की स्थिति में नहीं रहती हैं। घरेलू हिंसा आमदनी और

काम करने की योग्यता को तो निश्चित ही प्रभावित करती है। **एसोचैम के सर्वेक्षण** के अनुसार छोटी कंपनियों में काम करने वाली 48% महिलाएं अपने कार्य स्थल के आस-पास की गतिविधियों को लेकर भयभीत रहती हैं। (**वीरेंद्र सिंह यादव, 2008:59**)। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमारे देश में 1200 कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया। 50% से अधिक महिलाओं ने ऑफिस में लैंगिक भेदभाव और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की शिकायत किया। सेवा (स्वनियोजित महिला संगठन) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 47% महिलाएं यौन उत्पीड़न एवं भेदभाव की शिकार हैं। **क्राइम इन इंडिया** के ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 33 महिलाओं को भगाने एवं अपहरण का मामला होता है। इनमें से 80% से अधिक के साथ भागने के बाद लैंगिक आक्रमण होता है (**www. domestic violence Accessed at 16 march, 2024**)।

12 नवंबर 2019 को **हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र** में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पाया गया कि बचपन में आर्थिक तंगी से गुजरे लोगों में 60% पुरुष, पत्नी या महिला साथी को प्रताड़ित करते हैं। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सबसे अधिक पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता है। **संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष** ने यह अध्ययन वाशिंगटन स्थित **इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च आन वूमैन** के साथ मिलकर किया। अध्ययन में पाया गया कि बचपन में भेदभाव के शिकार पुरुष महिलाओं के प्रति सामान्य से चार गुना अधिक हिंसक होते हैं। अध्ययन के दूसरे हिस्से के शोध में शामिल 38% महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके पति ने उन्हें थप्पड़ मारा या जलाया है। बचपन में भेदभाव के शिकार महिलाओं की हिंसा का शिकार होने की आशंका सामान्य से थोड़ी से छह गुना तक अधिक होती है।

निष्कर्ष:- वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत से नए परिवर्तन एवं नई समस्याएं उभर रही हैं इनमें कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो परंपरागत हैं और वैश्वीकरण ने इन्हें नए सिरे से उभरा है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा एक ऐसी परंपरागत समस्या है जो आज के वैश्विक दौर में भी उतनी ही ज्वलंत है, जितनी वह सदियों पहले थी। हालांकि इस समस्या में कई परिवर्तन और नए मुद्दे उभर रहे हैं, जिनका विश्लेषण बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण की आंधी में बहुत सी परंपरागत समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेरा शोध-पत्र वैश्विक स्तर महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का विभिन्न देशों में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है और इसे दूर करने में मीडिया एवं वैश्विक प्रयासों का उपयोग किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची-

- 1- देवसरे, विभा (2009) : घरेलू हिंसा वैश्विक संदर्भ, आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली।
- 2- आहूजा, राम (1997) : सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।
- 3- परमार, शुभा (2017) : नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
- 4- घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम (2005) : भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3(II) : 17-10-2006।
- 5- मुखर्जी, आर. के.(2003) : सामाजिक विचारक, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।
- 6- www.wikipedia domestic violence.in

7- हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, गोरखपुर संस्करण, 12 नवंबर, 2019।